



112134 - उसके कुछ साथियों ने उसके सतीत्व पर आरोप लगाया है तो उनकी क्या सज्जा है ? और वह उनके साथ किस तरह व्यवहार करे ?

प्रश्न

मैं एक सैन्य क्षेत्र से जुड़ा हूँ, जिसमें मुझे काम करते हुए लगभग तेरह साल होगए। सहसा एक दिन मैं आश्चर्यचकित और हैरान रह जाता हूँ, और मैं कांपने लगता हूँ और जो कुछ मेरे चारों ओर चल रहा था उस पर मुझे विश्वास नहीं होता है। वह यह कि मेरे बारे में यह अफवाह फैलाई गई थी – जिससे मैं महान अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, और इस बात से कि मैं उन लोगों में से हूँ – जिसका आशय यह है कि : (मैं हिजड़ा हूँ) !! ला हौला वला कुब्वता इल्ला बिल्लाह ! दिन और महीने गुज़रते गए, मैं कुछ भी नहीं कर सका। क़सम है महान अल्लाह की ! कि मैं हर पल अपने ऊपर अफसोस करता हूँ, और इस बात पर कि मेरी इमेज (प्रतिष्ठा) कहाँ पहुँच चुकी है जो मेरे जीवन में सबसे बड़ी चीज़ थी। ज्ञात रहे कि दिन प्रति दिन अफवाह फैलती ही जा रही है, और इस स्तर तक बढ़ती जा रही है कि मैं दूसरों के साथ बात नहीं कर सकता, वला हौला वला कुब्वता इल्ला बिल्लाह ! मुझे इसका समाधान कहाँ मिल सकता है ? मैं जब भी किसी से बात करता हूँ वह कहता है कि : तुम सब से काम लो, या जवाब न दो। क्या किया जाए ? जबकि ज्ञात होना चाहिए कि मेरी उमर 33 वर्ष है, और मैं शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे भी हैं, . . . मैं अल्लाह की क़सम खाता हूँ ऐसी क़सम जिस पर क्रियामत के दिन मेरा हिसाब होगा कि मैं इन सबसे बरी और बेगुनाह हूँ और जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसपर अल्लाह गवाह है।

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

कुछ सलफ का कहना है कि : “धरती पर कोई अन्य चीज़ ऐसी नहीं है जो ज़ुबान से अधिक कैद (बांधकर रखने) की ज़रूरत मन्द हो।” जबकि वास्तविकतायह है कि वह मुँहके अंदर, दाँतोंके फाटक के अंदरबंद है, और उसके ऊपर दो अन्य फाटकदोनों होंठ भी बंद हैं। इसके बावजूद वह उस कड़ी पहरेदारीके होते हुए आदमीको पाप में गिरादेती है और कभीकभार कुफ्र में ढकेल देती है।

तथा उत्कृष्ट बुद्धिकी बातों में सेयह है कि : बात तुम्हाराबंदी है, परंतु जब वह तुम्हारी ज़ुबान से निकल जाए तो तुम उसके बंदी बन जाते हो।”

तथा ज़ुबान को अल्लाहतआला की हराम की हुई चीज़ों – लोगोंकी मान मर्यादा, सतीत्व के बारेमें लिप्तकरने, गीबत



(पिशुनता), चुगलखोरी, गाली गलूज, अल्लाह पर बिनाजानकारी के बातकहने, और ज़ुबानके सामान्य अपराधोंऔर अवज्ञाओं मेंबेलगाम छोड़ देनेपर चेतवानी आईहै।

अल्लाहतआला का फरमानहै :

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لِدِيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

سورة ق : 18

”कोईबात उसकी ज़बानपर नहीं आतीमगर एक निरीक्षकउसके पासतैयार रहता है।” (सूरतक़ाफ़ : 18)

तथासहल बिन सअद सेवर्णित है कि उन्होंने कहा : अल्लाहके पैगंबर सल्लल्लाहुअलैहि व सल्लमने फरमाया : “जो व्यक्ति अपनेदोनों जबड़ों केबीच और अपने दोनोंपैरों के बीच कीचीज़ों (अर्थातज़ुबान औरशरमगाह) की रक्षाकी गारन्टी देदे तो मैं उसकेलिए स्वर्ग कीगारन्टी देता हूँ।” इसे बुखारी (हदीससंख्या : 6109) ने खिलायतकिया है।

तथाअबू हुरैरा रजियल्लाहुअन्हु ने नबी सल्लल्लाहुअलैहि व सल्लमसे खिलायत कियाहै कि आप ने फरमाया:

“आदमी अल्लाहतआला की प्रसन्नताकी कोई बात कहताहै जिसे वह कोईमहत्व नहीं देताहै उसके द्वाराअल्लाह तआला उसेकई पद ऊँचा कर देताहै, तथा बंदा अल्लाहके क्रोध की बातकरता है जिसे वहकोई महत्व नहींदेता है उसके कारणवह नरक में गिरताजाता है।” इसे बुखारी(हदीस संख्या : 6113)ने खिलायत कियाहै।

जहाँतक ऐ प्रश्न करनेवालेभाई ! आपके सतीत्व परलांछन लगाने कीबात है : तो इस बातको जान लीजिए किअल्लाह तआला अत्याचारीको ढील देता है, यहाँ तक कि जब उसेपकड़ता है तो उसेछोड़ता नहीं है, तथा आपको आपकेसब्र करने और कष्टको सहन करने परपुरस्कृतकिया जायेगा औरस्वयं वही लोगपापी होंगे औरआपके ऊपर झूठाआरोप लगाने परदुनिया में शरईहद (दण्ड) के पात्रहोंगे, तथा आखिरतमें यातना के पात्रबनेंगे । तथा वेलोग उन मुफलिसों(दरिद्रों) मेंसे हैं जिनकी नेकियाँलेकर मज़लूम कोदे दी जायेंगी और उसके गुनाहोंको लेकर उनके ऊपरडाल दिया जायेगा, सिवाय इसके किअल्लाह तआला उन्हेंक्षमा प्रदान करदे ।

अतःउन लोगों ने जोआप को अनैतिकतासे आरोपित कियाहै वह एक घृणितबात और झूठ है, और उन्हों ने कईबड़े-बड़े गुनाहकिए हैं, जिनमेंसे सबसे प्रमुखलांछना, मिथ्यादोषारोपण, कुकर्म का आरोपलगाना और गीवत है, और ये सब के सब जघन्यअपराधों में सहैः

1- बोहतान : इस पर चेतावनीदेते हुए अल्लाहतआला ने फरमाया :



وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

الأحزاب : 58

“जो लोग ईमानवाले पुरुषों और ईमान वाली महिलाओं को कष्ट पहुँचाते हैं बिना उनके किसी किए हुए अपराध के, तो उन्होंने बोहतान (मिथ्यारोपण) और खुलेहुए गुनाह काबोझ उठाया है।” (सूरतुल अहजाब : 58).

तथा अबू हुरैरा रजियल्लाहुअन्हु से वर्णित है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहुअलैहि व सल्लमने फरमाया : “क्या तुम जानते हो कि गीबत क्या है ? लोगोंने कहा : अल्लाह और उसके पैगंबर इस बात को सबसे अधिक जानते हैं। आप ने फरमाया : तुम्हारा अपने भाई का चर्चाएँ सी चीज़ के द्वारा करना जिसे वह नापसंद करता है। कहा गया : आपका क्या विचार है यदि मेरे भाई के अंदर वह चीज़ पाई जाती है जिसका मैं चर्चा कह रहा हूँ ? आप ने फरमाया : यदि उसके अंदर वह चीज़ नहीं है तो तू ने उस पर झूठा आरोप लगाया है।” इसे मुस्लिम (हदीस संख्या : 2598) रिवायत किया है।

तथा “अल-मौसूअतुलफिकः हिय्या” (21/279) में है :

अल-बोहतान : अरबी भाषा में : झूठा आरोप लगाने और झूठ गढ़ने को कहते हैं, और वह इस्मेमस्दर (क्रियार्थक संज्ञा) है, उसकी क्रिया : ‘ब-ह-त’ है, और उसका बाब (मापन) ‘न-फ-अ’ है।

तथा शरीअत की इस्तिलाह (शब्दावली) में : यह है कि किसी मस्तूरहाल (छिपी हुई स्थितिवाले) आदमी के पीछे ऐसी बात बोले जो उसके अंदर नहीं है।

अंत हुआ ।

तथा (31/330, 331) में है कि :

बोहतान अरबी भाषा में : झूठा आरोप लगाने और झूठ गढ़ने को कहते हैं ..., और इस्तिलाह में : तुम्हारा अपने भाई के बारे में ऐसी बत कहना जो उसमें नहीं है।

तथा गीबत और बोहतान में अंतर यह है कि : गीबत कहते हैं इन्सान का उसकी अनुपस्थिति में ऐसी चीज़ के साथ चर्चा करना जिसे वह नापसंद करता है, और बोहतान : कहते हैं उसका वर्णन ऐसी चीज़ के साथ करना जो उसमें नहीं है, चाहे वह उसकी अनुपस्थिति में हो या उसकी उपस्थिति में ।

अंत हुआ ।



2- रही बातमिथ्यारोप की :तो वह बड़े गुनाहोंमें से है, और उसकेबारे में अस्सीकोड़ों का दण्डहै। अल्लाह तआलाने फरमाया :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ عَلَيْهِمْ ثَمَانِينَ جَلَدَةً وَلَا تَقْبِلُوا أَهْمَ شَهَادَةَ أَبْدَأَوْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [النور:4-5]

”और जो लोगपाक दामन औरतोंपर (व्यभिचार का)आरोप लगाएँ फिर(अपने दावे पर) चारगवाह पेश न करेंतो उन्हें अस्सीकोड़े मारो और फिरकभी उनकी गवाहीकबूल न करो और (यादरखो कि) ये लोग स्वयंबदकार(अवज्ञाकारी) हैं। सिवायउन लोगों केजो इसके पश्चाततौबा कर लें और सुधार करलें, तोनिश्चय ही अल्लाह बहुतक्षमाशील, अत्यन्तदयावान है।” (सूरतुन्नूर : 4-5)

इब्नेकसीर रहिमहुल्लाहने फरमाया :

अल्लाहतआला ने आरोप लगानेवाले पर यदि वहअपनी बात के सहीहोने पर सबूत नस्थापित कर सकेतीन अहकाम(प्रावधान) अनिवार्यकिए हैं : उनमेंसे एक यह है कि : उसेअस्सी कोड़े लगाएजाएं। दूसरा : हमेशाके लिए उसकी गवाहीको रद्द कर दियाजाएं। और तीसरायह कि : वह फासिकहो जायेगा, न्यायप्रिय नहीं रहजायेगा, न तो अल्लाहके निकट और न हीलोगों के निकट ।

तफसीरइब्ने कसीर (3/292).

तथाइब्ने हजर रहिमहुल्लाहने फरमाया : इस बातपर सर्वसम्मत सिद्धहो चुका है कि पवित्रचरित्र वाले पुरुषोंपर मिथ्यारोप काहुक्म वही है जोपवित्राचारिणीमहिलाओं पर मिथ्यारोपका हुक्म है।

“फत्हुलबारी” (12/188)

तथाअबू हुरैरा रजियल्लाहुअन्हु से रिवायतहै कि अल्लाह केपैगंबर सल्लल्लाहुअलैहि व सल्लमने फरमाया : “क्या तुम जानतेहो मुफलिस (दरिद्र)कौन है ? लोगोंने कहा : हमारे बीचमुफलि वह व्यक्तिहै जिसके पास दिर्घमहो न दीनार और नकोई सामान हो। तो आप ने फरमाया : मेरी उम्मत कामुफलिस वह है जोक्रियामत के दिनमाज्ज, रोज़ा औरज्जकात लेकर आयेगा, तथा वह इस हाल मेंआयेगा कि उसनेइसे गाली दी होगी, इस पर आरोप लगायाहोग, इसका मालखाया होगा, इसका खून बहायाहोगा और इसे माराहोगा। तो उसे इसकीनेकियाँ दे दीजायेंगी और इसेउसकी नेकियाँ देदी जायेंगी। यदिउसके ऊपर जो कुछअनिवार्य है उसकाफैसला करने सेपहले उसकी नेकियाँसमाप्त हो गई, तो उन लोगों कीगलतियों को लेकिरउसके ऊपर डाल दियाजायेगा, फिर उसेजहन्न में डालदिया जायेगा।”इसे मुस्लिम (हदीससंख्या : 2581) ने रिवायतकिया है।

3- जहाँतक गीबत की बात है : तो उसका निषिद्ध होना अल्लाह तआलाकी किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत में स्पष्ट रूप से वर्णित है।

शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहिम हुल्लाह से पूछा गया :

मेरा एक दोस्त है जो अक्सर लोगों की मान-मर्यादा (सतीत्व) के बारे में बात करता रहता है, मैं ने उसे नसीहत की लेकिन कोई फायदानहीं, ऐसा लगता है कि यह उसकी आदत बन गई, और कभी कभी उसका लोगों के बारे में बात करना अच्छी नीयत से होती है, तो क्या उसे छोड़ना (अर्थात् उसका बहिष्कार करना) जायज़ है ?

तो उन्होंने उत्तर दिया :

मुसलमानों के सतीत्व के बारे में ऐसी बात करना जिसे वे नाप संदर्भ रखते हैं : एक महान बुराई है, और निषिद्ध गीबत (चुगली) में से है, बल्कि बड़े गुनाहों में से है। क्यों कि अल्लाह तआला काकथन है :

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِمْ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ

سورة الحجرات : 12

”और तुम में से कोई किसी दूसरे की गीबत (पीठ पीछे बुराई) न करे, क्या तुम में से कोई इसको पसन्द करेगा कि वह अपने मरेहुए भाई का मांस खाए ? तुम तो उससे अवश्य घृणा करोगे। और अल्लाह का डर रखो। निश्चय ही अल्लाह तौबा क्रूत करने वाला, अत्यन्त दयावान है।“ (सूरतुलहु जुरात : 12).

तथा इस लिए भी कि मुस्लिम ने अपनी सही ह में अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ”क्या तुम जानते हो कि गीबत क्या है ? लोगों ने कहा : अल्लाह और उसके पैगंबर इस बात को सबसे अधिक जानते हैं। आप ने फरमाया : तुम्हारा अपने भाई का चर्चा ऐसी चीज़ पाई जाती है जिसका मैं चर्चा कह रहा हूँ ? आप ने फरमाया : यदि उसके अंदर वह चीज़ पाई जाती है जिसका तुम चर्चा कर रहे हो तो तुमने उसकी गीबत की है, और यदि उसके अंदर वह चीज़ नहीं है तो तुम ने उस पर झूठा आरोप लगाया है।“

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित है कि “जब आप को मेराज में आसमान पर ले जाया गया तो आपका गुज़र ऐसे लोगों पर हुआ जिनके ताबे के नाखून थे जिनके द्वारा वे अपने चेहरों और सीनों को खरोंचरहे थे। तो आप ने फरमाया : ऐ जिब्रील ! ये कौन लोग हैं ? तो उन्होंने कहा : ये वो लोग हैं जो लोगों के गोशत खाया करते थे और उनके सतीत्व व सम्मान की चीज़ों में बात करते थे।“ इसे अहमद और अबू दाऊद ने जैयद सनद के साथ अनस रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।



अल्लामा इब्नेमुफलेह कहते हैं: उसकी इसनाद सही है, और फरमाया : तथा अबूदाऊद ने हसन इसनाद के साथ अबू हुरैरा से मरफूअन रिवायत किया है कि ”मनुष्य का किसी मुसलमान भाई की इज्जत के बारे में विनाअधिकार के जुबान चलाना बड़े गुनाहोंमें से है।”

आपके ऊपर और आपके अलावा अन्य मुसलमानों पर अनिवार्य यह है कि मुसलमानों की गीवत-चुगली करने वालों के साथ न बैठें, साथ ही साथ उसे न सीहत करें और उसकी निंदा करें। क्यों किन बी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमने फरमाया : ”तुम में से जो आदमी किसी बुराई को देखे तो उसे अपने हाथ से बदल डाले, यदि वह ऐसा नहीं कर सकता तो अपनी ज़ुबान से, यदि ऐसा करने पर भी सक्षम नहीं है तो अपने दिल से, और यह सबसे कम ज़ोर ईमान है।” इसे मुस्लिम ने अपनी सही ह में रिवायत किया है। यदि वह बात नहीं मानता है : तो आप उसके साथ उठना-बैठना त्याग दें, क्यों कि यह उसका खण्डन करने की पूर्ति में से है।”
फतावाइब्ने बाज़ (5/401, 402).

हम आपको जो न सीहत करते हैं और जिस चीज़ की सलाह देते हैं वह यह है कि : आप अल्लाह के पास इस आपदा से अज्ज व सवाब की आशा रखें, तथा जिन लोगों ने यह बात सुनी है उनके सामने अपने आप के इस सेवरी होने का प्रकटीकरण करके और उन झूठ गढ़ने वालों की झूठ और मिथ्यारोप का पर्दाफाश करके अपने आप की रक्षा और बचाव करें। हम समझते हैं कि आपका अपने कार्य के स्थान से दूर रहना और उनके झूठ के स्पष्टीकरण से चुप रहना, आपके बहुत से साथियों के निकट उनके बात की प्रामाणिकता को सुनिश्चित कर देगा। यदि आप अपनी बेगुनाही को बयान कर और उनके झूठ व मिथ्यारोप को स्पष्ट कर अपने काम के स्थान से स्थानांतरित होना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले वहाँ से स्थानांतरित नहों। तथा हम आपको यह भी सलाह देते हैं कि आप शर्ई न्याय पालिका के सामने उनके आप के ऊपर झूठ आरोप लगाने को सिद्ध करें और उनके ऊपर शर्ई दण्डलागू करने की मांग करें।

शैख अब्दुल्लाह बिन जिब्रीन से प्रश्न किया गया :

दो व्यक्तियोंने एक दूसरे की गीवत की, ताकि दोष उसके ऊपर आए और अपने आपको दूसरों के सामने बरी कर सके, लेकिन दूसरा व्यक्ति गीवत के पापों का अल्लाह से डर रखता है, उदाहरण के तौर पर पति और पत्नी ने झगड़ा किया, और आपस में मतभेद पैदा हो गया, चुनाँचे पत्नी अपने घर वालों के यहाँ चली गई और उसके पति से जो कुछ हुआ था और उसने जो कुछ किया था उसके बार में अपने घर वालों के सामने उसकी गीवत की। फिर उसके घर वाले उठकर अपनी बारी पर उस आदमी-अपनी बेटी के पति-की दूसरों के सामने गीवत करते हैं, इसी तरह वे करते हैं यहाँ तक कि उस आदमी को बदनाम व रूसवा कर देते हैं, चाहे उसके अंदर वह चीज़ पाई जाती हो या न पाई जाती हो। परंतु जब उस आदमी-महिला के पति ने अपनी पत्नी और उसके घर वालों की ओर से लोगों के सामने होने वाली गीवत और अन्याय के बारे में सुना : तो उसने उसी के समान चीज़ के द्वारा अपना बचाव करना चाहा, और यह इरादा किया कि उस (महिला-पत्नी) से होने वाली चीज़ों को लोगों से बतादे, लेकिन उसे गीवत और ज़ुल्म के गुनाहों से अल्लाह का डर लगता है, तो क्या वह चुप रहे और अपने मामले को अल्लाह के हवाले



सौंपदे, और जो कुछ हुआ है उसकी परवाहन करे ?

तो उन्होंने उत्तर दिया :

इसमें कोई शक नहीं किंगीबत हराम है, और वह आपका अपने भाई का चर्चा ऐसी चीज़ के द्वारा करना है जिसे वह नापसंद करता है, भले ही आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें आप सच्चे हों। लेकिन यदि आप ने उसके ऊपर झूठ बातलगाई है जो उसके अंदर पाई नहीं जाती है : तो यह बहुत बड़ा बोहतान और महा अन्याय है, और उसका पाप गीबत के पाप से भी बढ़कर है। इस आधार पर पति के लिए जायज़ है कि वह अपने आपको उस चीज़ से बरी ठहराएँ जो उन्होंने उसके ऊपर लोगों के सामने झूठ बाँधा है, ताकि आम लोगों को पता चल जाए कि उसके बारे में जो कुछ कहा गया है वह सही नहीं है, और वह बरीहो जाए और झूठ से उसकी मर्यादा की रक्षा हो सके। क्योंकि यदि वह चुप रहता है : तो लोग उस चीज़ को सही मान लेंगे जिससे उसे आरोपित किया गया है, और उसको सच समझेंगे, और उसकी बदनामी फैल जायेगी। इसी तरह जो व्यक्ति इससे अवज्ञत है उसे चाहिए कि वह पत्नी और उसके घर वालों को मात्र गीबत-चुगलखोरी, झूठ और मिथ्यारोप से तथा पति पत्नी के बीच रहस्यों का पर्दाफाश करने से बचने की नसीहत करे, और उन्हें यह बतलाए कि यह गुमान (भ्रांति) में से है, और भ्रांति सबसे झूठी बात है। इसी तरह उन दोनों के बीच सुधार करने, एक जुटकरने और दिलों के अंदर जो द्वेष, धृणा और दुश्मनी है उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए, आशा है कि स्थिति सुधर जाए और संगत बहाल हो जाए जिस तरह कि पहले थी।

“अल्लू-लु उलमकीन मिन फतावा अशौख इब्न जिब्रीन” (अन्निकाह/प्रश्न 359)

और अल्ला हत आला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।